भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 444

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करना

444 **श्री नीरज शेखरः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अब तक देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए आवंटित और प्रयुक्त निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और उपलब्ध संसाधन आवंटन (आरई) के आधार पर, भारत सरकार नीचे दिए गए लिंक के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में अनुमोदन प्रदान करती है:
https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

इसके अलावा, **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम)** के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू), एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) और क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई): इसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, अर्थात् (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन।

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना'** के लिए देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

(ग): वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पिछले चार वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पीएम-एबीएचआईएम के तहत जारी की गई धनराशि और व्यय का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

अनुलग्नक- I

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय रिलीज और व्यय

(रु . करोड़ में)

क्रम.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71	49.99	44.41
2	आंध्र प्रदेश	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44	388.86	472.93
4	असम	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54
5	बिहार	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31
6	चंडीगढ़	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85	43.43	37.29
7	छत्तीसगढ़	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96	40.96	40.47
9	दिल्ली	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41	240.39	365.44
10	गोवा	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	84.53	55.06	95.17
11	गुजरात	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15
12	हरियाणा	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06
13	हिमाचल प्रदेश	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	629.76	523.70	654.52
14	जम्मू और कश्मीर	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30
15	झारखंड	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59
16	कर्नाटक	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23
17	केरल	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88
18	लद्दाख	44.79	62.81	94.95	109.67	120.44	119.67	135.98	150.50
19	लक्षद्वीप	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10	9.68	10.00
20	मध्य प्रदेश	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77
21	महाराष्ट्र	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86
22	मणिपुर	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32	279.16	295.79
23	मेघालय	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83	297.95	393.01
24	मिजोरम	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	179.84	159.96	174.67
25	नगालैंड	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69	204.47	243.60
26	ओडिशा	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01
27	पुदुचेरी	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74	26.27	49.27
28	पंजाब	349.21	918.96	448.89	1,054.39	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72
29	राजस्थान	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33
30	सिक्किम	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	75.77	81.67	89.59
31	तमिलनाडु	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74

32	तेलंगाना	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42
33	त्रिपुरा	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	309.62	268.67	279.35
34	उत्तर प्रदेश	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16
35	उत्तराखंड	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79	604.05	760.15
36	पश्चिम बंगाल	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07

टिप्पणी:

1. इस व्यय में केन्द्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष के तहत खर्च शामिल है। यह व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा किए गए एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।
2. ऊपर दी गई रिलीज़ केन्द्र सरकार अनुदान से जुड़ी हैं और इसमें राज्य अंश का योगदान शामिल नहीं है।

अनुलग्नक- II

वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्रीय निर्गम और व्यय

करोड़ रुपये

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय	केंद्रीय रिलीज़	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.05	1.57
2	आंध्र प्रदेश	3.75	0.00	15.76	6.25	35.78	28.85	39.07	65.16
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.00	0.10	0.00	8.83	2.25	1.05	2.44
4	असम	57.90	0.00	2.26	1.16	91.45	68.45	159.61	177.34
5	बिहार	125.86	0.00	7.17	0.00	0.00	50.69	15.92	185.61
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	4.79	1.73	10.38	5.83	5.13	6.34
7	छत्तीसगढ़	11.25	0.00	1.34	11.01	32.23	19.64	18.63	31.05
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.24	0.00	0.28	0.21	0.53	0.51
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	0.00	0.06	0.00	3.75	0.00	0.10	0.21
11	गुजरात	0.00	0.00	29.54	32.24	46.04	56.13	79.38	146.63
12	हरियाणा	11.06	0.00	1.31	0.00	17.67	16.63	36.00	88.63
13	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	28.05	9.98	15.69	15.27	44.81	52.92
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	0.00	1.00	0.00	44.01	36.67	60.44	63.71
15	झारखंड	44.70	0.00	183.04	240.87	102.27	454.05	65.27	289.16
16	कर्नाटक	11.25	0.00	37.10	18.75	100.57	104.47	118.91	198.19
17	केरल	3.75	0.00	24.89	4.72	0.00	36.66	24.58	36.15
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.31	0.62	0.62
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.07	0.00	0.51
20	मध्य प्रदेश	22.85	0.00	98.70	99.43	228.52	300.93	63.19	295.14
21	महाराष्ट्र	17.45	0.00	4.07	0.00	31.76	34.47	65.48	86.82
22	मणिपुर	4.56	0.00	10.92	4.56	13.78	16.89	5.74	21.20
23	मेघालय	9.65	0.00	43.28	8.80	4.42	28.02	10.50	27.34
24	मिजोरम	0.28	0.00	1.52	0.27	4.52	1.32	3.82	7.27
25	नागालैंड	0.28	0.00	0.08	0.00	4.42	0.60	0.00	1.71
26	ओडिशा	32.15	0.00	211.46	258.55	171.58	423.43	149.05	248.42
27	पुदुचेरी	0.42	0.00	0.19	0.62	2.67	2.88	2.50	4.28
28	पंजाब	0.00	0.00	24.16	0.00	0.00	2.07	8.92	45.33
29	राजस्थान	45.37	0.00	83.59	108.50	173.06	280.43	157.76	262.93
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.75	0.26	3.88	2.05	1.67	3.74
31	तमिलनाडु	17.45	29.08	150.42	183.35	279.36	389.37	224.99	512.33
32	तेलंगाना	11.25	0.00	53.88	83.75	95.21	141.73	208.82	348.04

33	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.90	0.38	2.48	1.43	2.12	2.94
34	उत्तर प्रदेश	124.63	0.00	173.71	254.04	247.96	252.69	400.95	544.74
35	उत्तराखंड	1.56	0.00	32.31	1.60	0.00	16.35	26.89	31.07
36	पश्चिम बंगाल	9.95	0.00	0.00	9.75	30.91	49.78	78.40	92.35

टिप्पणी:

1. इस व्यय में केन्द्रीय निर्गम, राज्य निर्गम और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष के तहत व्यय शामिल है। यह व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमा किए गए एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।2. ऊपर दी गई रिलीज़ केन्द्र सरकार अनुदान से जुड़ी हैं और इसमें राज्य अंश का योगदान शामिल नहीं है।
